रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2015/ आषाढ़ 22, 1937
No. 244] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2015/ASHADHA 22, 1937

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 09 जुलाई, 2015

अधिसूचना सं. 111

सं. ईपी. 38(1)/2013.–भारतीय खाद्य निगम, अधिनियम, 1964 (1964 का 37 वां) की धारा 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में आगे संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. उपशीर्ष तथा आरंभ:

(i) इन विनियमों को भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा ;

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा:- इस अधिनियम में दी गई परिभाषाएं तथा शब्दों के अर्थ वही होंगे जो कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में उल्लेखित हैं।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 (परिशिष्ट-1) के 'भाग-I विशिष्ट पद' में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

(i) संलग्न अनुबंध-I में दिए गए विवरण अनुसार मुख्य महाप्रबंधक (सामान्य) का एक नया पद क्रम सं. 6(ए) के रूप में भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के परिशिष्ट-1 के भाग-I विशिष्ट पद के क्रम सं 6 के नीचे शामिल किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 2, 3, 4 व 6 के कॉलम 6 में उल्लिखित शब्दों को "मुख्य महाप्रबंधक (सामान्य) व महाप्रबंधक के सम्मिलित रूप में 4 वर्ष का अनुभव" प्रतिस्थापित किया जाता है।

रवीन्द्र कुमार जैन, सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./108/15/(23)]

अनुबंध-I

भाग-I विशिष्ट पद

क्रम संख्या	पद का विवरण	वेतनमान (रुपयों में)	भर्ती का प्रकार	प्रोन्नति		सीधे भर्ती	आयु सीमा	खाद्य महानिदेशालय में पदों के तदनुरूपी प्रवर्ग	टिप्पणियाँ
				प्रवरण/ अप्रवरन	अनुभव	अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हों			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6 ए	मुख्य महाप्रबंधक (सामान्य)	43200-66000 (आईडी ए)/ 37400-67000+ग्रेड पे-8900 (सीडीए)	100% पदौन्नति	प्रवरण	महाप्रबंधक के रूप में 2 वर्ष	-	-	-	-

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 8-5-1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए |

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2007	15.05.2007
2.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2009	14.02.2009
3.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2010	20.03.2010
4.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2010	16.07.2010
5.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2010	20.07.2010
6.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(चौथा संशोधन) विनियम, 2010	23.11.2010
7.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2011	13.04.2011
8.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
9.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
10.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2013	27.06.2013
11.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
12.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
13.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2015	06.04.2015
14.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2015	29.05.2015

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2015

NOTIFICATION NO. 111

No. EP-1(3)/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2015.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definitions and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following amendments are made in 'Part-I Special Posts' of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 (Appendix-1):

(i) A new post of Chief General Manager (General) is inserted as Sl. No. 6A below Sl. No. 6 of Part-I Special Posts in Appendix-1 of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 as detailed in Annexure-I.

(ii) The words appearing in Column 6 against Serial No. 2, 3, 4 and 6 are replaced with the words "4 years as General Manager including the period served as Chief General Manager (Genl.)".

RAVINDER KUMAR JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./108/15/(23)]

Annexure-I

PART-I SPECIAL POST

Sl. No.	Description of post	Scale of Pay (Rs.)	Mode of recruitment	Promotion		Direct recruitment	Age limit years	Corresponding categories of posts in the Directorate Genl. of Food	Remarks
				Selection/ Non-selection	Experience	Qualifications & experience, if any.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6A	Chief General Manager (Genl.)	43200-66000 (IDA)/ 37400 67000 + GP-8900 (CDA)	100% by promotion	Selection	2 years as General Manager	-		-	-

Note:- The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2007	15.05.2007
2.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2009	14.09.2009
3.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010	20.03.2010
4.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010	16.07.2010

5.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010	20.07.2010
6.	FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010	23.11.2010
7.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2011	13.04.2011
8.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
9.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
10.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2013	27.06.2013
11.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
12.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
13.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2015	06.04.2015
14.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2015	29.05.2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.